भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1970

उत्तर देने की तारीख : 28.07.2022

पिछड़े क्षेत्रों में एमएसएमई इकाइयों की स्थापना

1970. श्री बी. बी. पाटील:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **:** क्या सरकार के पास स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार प्रदान करने के लिए देश के सबसे अधिक पिछड़े क्षेत्रों और विशेष रूप से तेलंगाना राज्य के जहीराबाद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) : क्या सरकार ने देश के समग्र विकास के लिए और अधिक एमएसएमई इकाइयां स्थापित करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) : देश में एमएसएमई स्थापित करने के लिए उत्साही उद्यमियों को दिए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) : क्या एमएसएमई इकाइयों को उनकी मांग के अनुसार उनके कार्य संचालन के लिए पर्याप्त पूंजी निवेश और धनराशि उपलब्ध कराई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (ग) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय किसी भी राज्य में एमएसएमई स्थापित नहीं करता है। एमएसएमई क्षेत्र निजी व्यक्तियों के माध्यम से चलाया जाता है और इस क्षेत्र में निवेश उद्यमियों द्वारा स्वयं ही किया जाता है। उद्यमों का संवर्धन और विकास राज्य का विषय है। केंद्र सरकार तेलंगाना राज्य के जहीराबाद सहित देश में एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों सरकारों के प्रयासों में पूरक का काम करती है।

(घ) और (ङ) : एमएसएमई मंत्रालय देश में एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना (स्फूर्ति), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) आदि शामिल हैं। इन योजनाओं के तहत मिलने वाला लाभ देशभर में सभी पात्र एमएसएमई के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा, सरकार ने देश में छोटे व्यवसायों पर कोविड-19 के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हाल में की गई कई पहलों में से कुछ निम्नवत हैं:

i. दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) अधीनस्थ ऋण।
ii. एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए गारंटीकृत आकस्मिक क्रेडिट लाइन (जीईसीएल)/आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस)।

iii. आत्मनिर्भर भारत निधि के माध्यम से इक्विटी समावेशन।

iv. एमएसएमई के वर्गीकरण के नए संशोधित मानदंड।

v. व्यवसाय करने की सुगमता के लिए 'उद्यम पंजीकरण' के माध्यम से एमएसएमई का नए रूप में पंजीकरण।

vi. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं ली जाएगी।

इसके अलावा, सरकार ने 2022-23 के बजट में एमएसएमई के लिए निम्नलिखित पहलों की घोषणा की थी:-

(i) क्रेडिट सुविधा, कौशल और भर्ती प्रक्रिया के लिए उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा।

(ii) जीईसीएल/ईसीएलजीएस को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और इसके गारंटी कवर को अतिरिक्त राशि के साथ विशेष रूप से आतिथ्य और तत्संबंधित उद्यमों के लिए निर्धारित कर 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा।

(iii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को एमएसई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त क्रेडिट की सुविधा हेतु निधियों के अपेक्षित समावेशन और रोजगार के अवसरों के विस्तार के साथ पुनर्निधारित किया जाना है।

(iv) 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई प्रदर्शन में संवृद्धि और गतिवर्धन (रैम्प) कार्यक्रम को 5 वर्षों तक प्रचालन करना।

****